**उ0प्र0 शासन**

पंचायती राज अनुभाग-3

संख्या-16/2021/464/33-3-2021-62/2020

लखनऊः दिनांकः 22 फरवरी, 2021

**शुद्धि-पत्र**

शासनादेश संख्या-13/2021/332/33-3-2021-62/2020 दिनांक 12.02.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 व उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली-1994 के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों को आरक्षित करने सम्बन्धी आदेश निर्गत किए गए हैं। उक्त आदेश में त्रुटिवश जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आरक्षित एवं आवंटित के स्थान पर, आरक्षित अंकित हो गया है। उक्त शासनादेश में आरक्षित के स्थान पर आरक्षित एवं आवंटित पढ़ा एवं समझा जायेगा।

2- उक्त सीमा तक उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12.02.2021 संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

राकेश कुमार,

विशेष सचिव।

**संख्या व दिनांकः- तदैव।**

**प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. प्रमुख स्टाॅफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0) उत्तर प्रदेश।
8. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. पंचायतीराज अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(राकेश कुमार)**

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in